न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 05 सन 2019

अनवान :–

1. देवकरण पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. देवराज पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/12/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी. तहसील नोहर के खाता स0 20/21 के प०न0 355/460 के मु0न0 9 के किला न0 3 ता 14 प्रत्येक की 0. 253 हैक्ट कुल 12 किता की 3.0360 हैक्ट व प०न० 356/460 मु0न0 10 के किला न0 1 की 0.2277 हैक्ट, प0न0 357/463 मु0न0 36 के किला न0 11–20 की 0.506 हैक्ट, कुल 3.7950 हैक्ट प्रार्थी स0 1 के एवं रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी तहसील नोहर के खाता स० 21/22 के पठन० 356/459 मु0न0 7 के किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, प०न० 355/459 के किला न० 8 के किला न0 16 ता 25 की 2.5300 हैक्ट भूमि प०न० 355/460 मु0न0 9 के किला न० 1 ता 2 की 0.506 हैक्ट, प०नं0 357/463 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 22 की 0.506 हैक्ट कुल तादादी 3.795 हैक्ट भूमि प्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण ने दिनांक 30.3.2016 को अपने नाम दर्ज कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर सिर्वो के निशानत लेने का आवेदन पेश किया एवं दिनांक 6.4. 2016 को पटवारी हल्का बडबिराना को पूर्ण जॉच हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा प्रेषित किया गया। एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.5.2016 को रिर्पोट दी गई की प्रार्थीगण मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा वर्तमान में भूमि खाली है एवं भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश नही है तथा सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा जमा करवा दिया गया। एवं बाद सीमा शुल्क जमा करवाने पर पटवारी हल्का द्वारा मौका पर पत्थर उखड़े होने के कारण सीमाज्ञान में असमर्थता जाहिर की गई है।

चक 6 आर.एम.जी. तहसील नोहर में पटवारी हल्का द्वारा पूर्व आदेश क्रमांक 1553 दिनांक 23.6.2016 की पालना में अधि... पत्थर मौके [illegible] उखड़े हुए कारण बताते हुये पैमाईश करने में असमथर्ता जाहिर करने के [illegible] सरदारपुरा की अध्यक्षता में कार्मिको की कमेटी गठित की गई एवं ग[illegible] 31.5.2016 को श्रीमान [illegible]दार साहब नोहर के आदेश क्रमांक / भू.अ./2016/45–46 दि[illegible] 17.5.2016 की पालना में ग्राम/चक 6 आर. एम.जी. में प्रार्थी देवकरण व देवराज की भूमि का सीमाज्ञान कराने मौके पर पहुंची थी प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पैमाईश हेतु सर्वे चिन्हो (मुरब्बा / पत्थर) नही मिले उपरोक्त खातेदारी भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

विधिवत पैमाईश हेतु सर्वेक्षण के सरकारी पत्थर मौके पर उपस्थिति नही पाये गये एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पैमाईश नहीं की जा रही है। एवं मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण / पड़ौसिया ग्राम के मौत बिरानो को सीमा चिन्ह / सर्वेक्षण पत्थर न होने के कारण सीमा ज्ञान नी करवाने बाबत प्रार्थीगण को अवगत करवाया गया है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि चक 6 आर.एम.जी की सर्वेचिन्हों (मुरब्बा / पत्थर) नहीं मिलने के कारण अपनी खातेदारी भूमि की विधिवत पैमाईश नही करवा पा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अपने खेत में सीमा चिन्ह / सर्वेक्षण पत्थर लगाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। तथा न्यायालय से अपने खेत में सर्वेचिन्ह / सर्वेक्षण पत्थर लगावा पाने का अधिकारी है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल ने गैरसायल स0 1 को कई दफा कहा की उक्त भूमि की पैमाईश की जाकर पत्थरगढ़ी कायम कर देवे तो गैरसायल स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त भूमि की पुख्ता सीमा चिन्ह जाकर पत्थरगढ़ी कायम करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने उपस्थित आकर निवेदन किया की प्रार्थी के साक्ष्य सबूतों के आधार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही करवाई गई थी के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी. तहसील नोहर के खाता स0 20/21 के प०न0 355/460 के मु0न0 9 के किला न0 3 ता 14 प्रत्येक की 0. 253 हैक्ट कुल 12 किता की 3. 0360 हैक्ट व प०न० 356/460 मु0न0 10 [illegible] न0 1 की 0.2277 हैक्ट, प0न0 357/463 मु0न0 36 के किला न0 11-20 की 0.506 [illegible] हैक्ट प्रार्थी स0 1 के एवं रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी तहसील नोहर के खाता स० 21/22 के पठन० 356/459 मु0न0 7 के किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, प०न० 355/459 के किला न० 8 के किला न0 16 ता 25 की 2. 5300 हैक्ट भूमि प०न० 355/460 मु0न0 9 के किला न० 1 ता 2 की 0.506 हैक्ट, प०नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

357/463 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 22 की 0.506 हैक्ट कुल तादादी 3.795 हैक्ट भूमि प्रार्थी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायलान की भूमि रोही मौजा चक 6 आर.एम. जी. तहसील नोहर के खाता स0 20/21 के प०न0 355/460 के मु0न0 9 के किला न0 3 ता 14 प्रत्येक की 0. 253 हैक्ट कुल 12 किता की 3.0360 हैक्ट व प०न० 356/460 मु0न0 10 के किला न0 1 की 0.2277 हैक्ट, प0न0 357/463 मु0न0 36 के किला न0 11–20 की 0.506 हैक्ट, कुल 3.7950 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी तहसील नोहर के खाता स० 21/22 के पठन० 356/459 मु0न0 7 के किला न0 21 की 0.253 हैक्ट, प०न० 355/459 के किला न० 8 के किला न0 16 ता 25 की 2.5300 हैक्ट भूमि प०न० 355/460 मु0न0 9 के किला न० 1 ता 2 की 0.506 हैक्ट, प०नं0 357/463 मु0न0 36 के किला न0 21 ता 22 की 0.506 हैक्ट कुल तादादी 3.795 हैक्ट भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:15:04 IST
Reason: SelfAttested